



दावा सं. - 07/2016 सुनील कुमार शर्मा व अशोक कुमार

स्वयंसेवा समिति द्वारा वकिल प्रदीप कुमार को  
 जवाब न देकर सीधे बहस की। बहस  
 प्र. प्र. पर हस्तपुस्तक पुनी गड, वकिल  
 प्रदीप/प्रतिवादी द्वारा प्र. प्र. के समर्थन  
 में अज्ञात सूची के साथ प्रस्तुत गोर  
 न्यायालय अधिकृत अधिकारी द्वारा-11  
 मामला सं. 291 विधि 2014 निर्णय  
 दिनांक 18/12/2014 से स्पष्ट है की  
 वास्तविक भूमि कृषि क्षेत्र प्रोपर्टी  
 परिवर्तित हो चुकी है। ऐसे में  
 वाद को आगे चलाने का कोई  
 औचित्य नहीं है। वाद प्रथम दुपचा  
 ही खारिज किए जाने योग्य है। अतः  
 प्रदीप/प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत  
 प्र. प्र. अंतर्गत आदेश 2 निमम 11  
 सफल धारा 15 CPC खींचा गया  
 जाकर घसी का वाद वाई वॉय  
 लो होने के खारिज किया जात है।  
 अगली प्रसन्न कुमार होकर उपर  
 से फर्म होकर प्रसन्न कुमार हो  
 निर्णय माफ दिनांक 15/03/2022  
 को सरे इजलास सुनाया गया

सहायक जज  
 जयपुर शहर हिंसा